यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फकोट (टिहरी गढवाल) द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फकोट (टिहरी गढवाल) के माह 04/2012 से 01/2019 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0एस0 राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पवन कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 25.02.2019 से 28.02.2019 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

इकाई द्वारा चिकित्सालय, स्वास्थ्य उप–केन्द्रों के माध्यम से चिकित्सा, टीकाकरण, परिवार कल्याण एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त योजनाओं का सम्पादन किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण विकास खण्ड क्षेत्र है, जिसमें आने वाले समस्त रोगियों का उपचार किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर–स्थापना		स्थापना		गैर–स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2012–13	–	–	206.35	190.49	69.40	57.66	–	15.86	–	11.74
2013–14	–	–	215.75	193.04	123.28	123.28	–	22.71	–	–
2014–15	–	–	270.68	250.58	148.49	134.38	–	20.10	–	14.11
2015–16	–	–	254.90	254.90	120.62	120.62	–	–	–	–
2016–17	–	–	280.47	280.47	129.98	129.98	–	–	–	–
2017–18	–	–	250.75	250.75	158.07	158.07	–	–	–	–
2018–19 (01/2019)	–	–	429.29	313.42	154.15	118.38	वित्तीय वर्ष प्रगतिरत			

* अवशेष बचत की धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित की गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् है::

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2012–13	एन0एच0एम0 इत्यादि	2.48	65.90	62.48	–	5.90
2013–14		5.90	61.48	59.70	–	7.68
2014–15		7.68	99.75	89.10	–	18.33
2015–16		18.33	89.03	94.79	–	12.57
2016–17		12.57	107.42	108.34	–	11.65
2017–18		11.65	91.47	96.22	–	6.90
2018–19 (01/2019 तक)		6.90	110.25	74.05	वित्तीय वर्ष प्रगतिरत	

(iii) इकाई को बजट **आवंटन** केन्द्रांश एवं राज्यांश के रुप में राज्य स्तर से तथा एन0एच0एम0 का आबंटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी के स्तर से प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "सी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

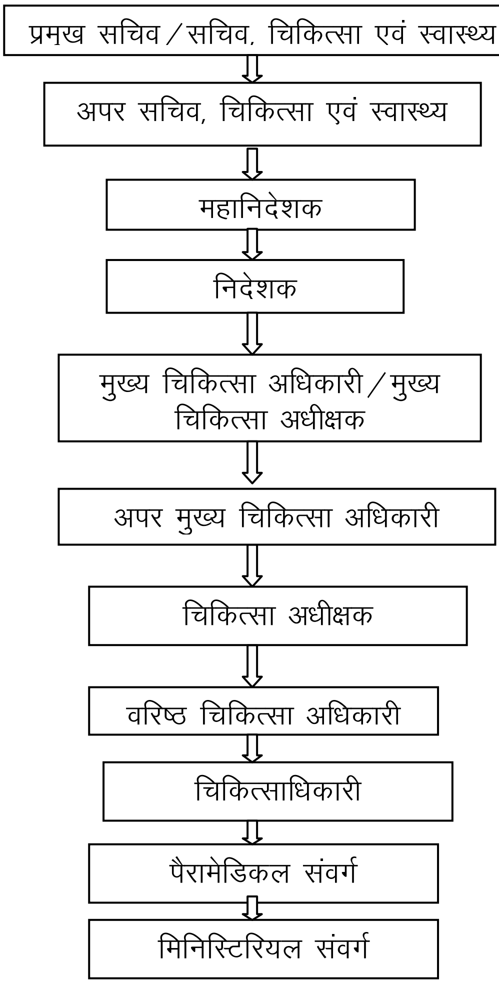

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि : लेखापरीक्षा में कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फकोट (टिहरी गढवाल) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फकोट (टिहरी गढवाल) की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2016, मार्च 2017, मार्च 2018 एवं जुलाई 2018 को विस्तृत जॉच हेतु चयनित लेखापरीक्षा अवधि के माहों में अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते से रु0 2.01 लाख का अनियमित व्यय।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली 2017 के प्रस्तर 33 एवं 34 के अनुसार यदि क्रय की जाने वाली सामग्री का मूल्य रु0 25,000 तक हो, तो ऐसी सामग्री की अधिप्राप्ति बिना कोटेशन/निविदा के खुले बाजार दर के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण–पत्र पर की जा सकती है तथा यदि क्रय की जाने वाली सामग्री का मूल्य रु0 25,000 से अधिक तथा रु0 2,50,000 तक लागत की सीमा में हो तो तीन सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों के आधार पर की जा सकती है।
कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फकोट, टिहरी गढवाल के चिकित्सा प्रबन्धन समिति से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा वर्ष 2017–18 में मै0 जे0एस0 इन्टरप्राइजेज, ऋषिकेश से रु0 64580.00 (बिल संख्या 125 दिनॉक 10.03.2018 द्वारा रु0 33680.00 एवं बिल संख्या 144 दिनॉक 22.03.2018 द्वारा रु0 30900.00) तथा मै0 सूर्या फर्नीचर, ऋषिकेश से रु0 42421.00 की सामग्री बिना कोटेशन से क्रय की गई, जो कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली 2017 के विपरीत था। इसके अतिरिक्त चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते से रु0 93752.00 का व्यय अधिष्ठान मदों में किया गया, जबकि सी0पी0एस0 की धनराशि का उपयोग चिकित्सालय रख–रखाव हेतु किया जाना चाहिए था। विवरण निम्नवत् हैः–

मद का नाम	भुगतान की तिथि	भुगतान राशि
पेट्रोल	26.07.2017–6.08.2017	8000.00
	31.03.2018	3630.00
टेलीफोन	13.06.2016	4781.00
	30.11.2016	2310.00
	13.01.2017	1054.00
	26.02.2017	574.00
	31.03.2017	929.00
	12.04.2017	939.00
	28.07.2017	2000.00
	9.10.2017	1059.00
	28.03.2018	2152.00
सी0ए0 फीस	2014–15	15000.00
	2015–16	16500.00
	2016–17	17000.00
	2017–18	6000.00
टी0डी0एस0 फीस	30.01.2017	11824.00
योग :–		**93752.00**

इसप्रकार, कार्यालय द्वारा चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते से रु0 2.01 लाख का अनियमित व्यय भुगतान किया गया।
लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि सामग्री की अति–आवश्यकता एवं समयाभाव के कारण कोटेशन के बिना क्रय किया गया। भविष्य में नियमानुसार क्रय किया जाएगा। पेट्रोल, टेलीफोन बिल, सी0ए0 एवं टी0डी0एस0 फीस हेतु किए गये व्यय के सम्बन्ध में बताया कि अधिष्ठान में **आवंटन** न होने के कारण व्यय किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सी0पी0एस0 की धनराशि का उपयोग नियमावली का अनुपालन करते हुए चिकित्सालय रख–रखाव हेतु किया जाना चाहिए था।

अतः चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते से रु0 2.01 लाख का अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रु0 1.08 लाख का अनियमित व्यय।

राष्ट्रीय कार्यक्रम जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005 में प्रारम्भ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना था ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु की दर को कम किया जा सके। जननी सुरक्षा योजना की निर्देशिका के अनुसार सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव कराने पर महिला को प्रोत्साहन राशि के रुप में ग्रामीण क्षेत्र में रु0 1400/- एवं शहरी क्षेत्र में रु0 1000/- का भुगतान चैक के माध्यम से किया जाना चाहिए। योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि के वितरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार (i) प्रसव की सम्भावित तिथि से 10 से 24 सप्ताह पूर्व प्रत्येक महिला लाभार्थी हेतु जे0एस0वाई0 कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजों सहित उसे प्रसव की सम्भावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी को डिस्चार्ज करते समय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सके, (ii) लाभार्थी को प्रसव के पश्चात् कम से कम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुकना आवश्यक है, (iii) लाभार्थी को चिकित्सालय से डिस्चार्ज करते समय अनिवार्य रुप से देय राशि का भुगतान किया जाना चाहिए एवं (iv) प्रसव से सात दिन पूर्व या सात दिन पश्चात् किया गया कोई भी भुगतान अवैध माना जायेगा।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फकोट, टिहरी गढवाल के जननी सुरक्षा योजना से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि केन्द्र में वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में कुल 98 संस्थागत प्रसव हुए, निर्धारित दर से रु0 1.30 लाख का भुगतान किया गया। जॉच में पाया गया कि संस्थागत प्रसव हुए 98 महिलाओं में से 81 लाभार्थियों को प्रदत्त प्रोत्साहन राशि रु0 1.06 लाख का भुगतान निर्धारित तिथि से 09 से 218 दिनों के पश्चात् किया गया। प्रसव कराने पर महिला को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु लाभार्थी को प्रसव के पश्चात् कम से कम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुकना आवश्यक था, परन्तु प्रसव पंजिका एवं डिस्चार्ज स्लिप में पाया कि समस्त 98 प्रसव प्रकरणों में से 87 प्रकरणों में महिला लाभार्थी स्वास्थ्य केन्द्र में 48 घण्टे तक नहीं रुकी। इस प्रकार, नियमों के विरुद्व अनियमित भुगतान का विवरण निम्नवत् हैः–

वर्ष	कुल संस्थागत प्रसवों की संख्या	भुगतान किए गये लाभार्थियों की संख्या	कुल प्रदत्त राशि	सात दिन पश्चात् भुगतान किए गये लाभार्थियों की संख्या	सात दिन पश्चात् भुगतान की राशि	विलम्ब (दिन)
2017–18	37	37	53200.00	35	50400.00	11 से 218
2018–19	61	61	76800.00	46	57200.00	9 से 123
योगः–	**98**	**98**	**130000.00**	**81**	**107600.00**	

इसप्रकार, योजना के दिशा–निर्देशों का अनुपालन न किए जाने पर 81 लाभार्थियों को विलम्ब से किया गया रु0 1.08 लाख का भुगतान अवैद्य (illegitimate) था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि लाभार्थियों द्वारा प्रसव के दौरान बैंक खाते का विविरण न दिए जाने के कारण डिस्चार्ज के समय भुगतान नहीं किया जा सका। तत्पश्चात् बैंक विवरण प्रस्तुत करने पर लाभार्थियों को ए0एन0एम0 के माध्यम से चैक द्वारा भुगतान किया गया। भविष्य में इसमें सुधार किया जाएगा। 48 घण्टे से पूर्व डिस्चार्ज के सम्बन्ध में बताया कि लाभार्थी द्वारा लिखित में अनुरोध करने पर डिस्चार्ज किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के अधीन निर्धारित शर्तों के अनुपालन पर ही लाभार्थी को भुगतान किया जाना चाहिए था।

अतः जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रु0 1.08 लाख का अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक–1

Year 2017-18

Sl. No.	Name of Beneficiary	Date of Delivery	Date of Discharge	Cheque Date	Amount	Delay
1	Munni Devi	5.4.2017	5.4.2017	15.6.2017	1400	70
2	Meena Devi	21.4.2017	22.4.2017	15.6.2017	1400	53
3	Deepa Devi	21.4.2017	22.4.2017	27.11.2017	1400	218
4	Meena Devi	6.5.2017	7.5.2017	27.11.2017	1400	203
5	Vishakha	25.5.2017	26.5.2017	15.6.2017	1400	19
6	Anita Devi	26.5.2017	27.5.2017	15.6.2017	1400	18
8	Arti Devi	1.6.2017	2.6.2017	23.9.2017	1400	112
7	Manju	9.6.2017	10.6.2017	23.9.2017	1400	104
9	Poonam	11.6.2017	12.6.2017	10.8.2017	1400	58
38	Pooja Devi	1.7.2017	2.7.2017	27.11.2017	1400	147
10	Laxmi Devi	1.7.2017	3.7.2017	27.11.2017	1400	146
11	Sarojni	14.7.2017	15.7.2017	27.11.2017	1400	134
12	Mamta Devi	14.7.2017	15.7.2017	11.8.2017	1400	26
13	Reshma Chauhan	23.7.2017	24.7.2017	26.8.2017	1400	32
14	Pinki Devi	26.7.2017	27.7.2017	10.8.2017	1400	13
15	Mamta Devi	28.7.2017	29.7.2017	10.8.2017	1400	11
16	Vinita Devi	4.8.2017	5.8.2017	26.8.2017	1400	21
17	Pushpa Devi	14.8.2017	15.8.2017	23.9.2017	1400	38
18	Ramita	22.8.2017	23.8.2017	23.9.2017	1400	30
19	Geeta	30.8.2017	1.9.2017	23.9.2017	1400	22
20	Arti Devi	3.9.2017	5.9.2017	23.9.2017	1400	18
21	Babita Devi	11.9.2017	12.9.2017	23.9.2017	1400	11
22	Meena Devi	25.9.2017	26.9.2017	27.11.2017	1400	61
23	Babita Devi	10.10.2017	11.10.2017	27.11.2017	1400	46
24	Usha Devi	24.10.2017	25.10.2017	27.11.2017	1400	32
25	Pooja Devi	1.11.2017	3.11.2017	27.11.2017	1400	24
26	Piryanka Devi	4.11.2017	4.11.2017	28.11.2017	1400	24
27	Srijana	8.11.2017	8.11.2017	28.11.2017	1400	20
28	Urmila Devi	9.11.2017	10.11.2017	27.11.2017	1400	17
29	Amrita Devi	15.11.2017	16.11.2017	28.11.2017	1400	12
30	Bina Rawat	20.11.2017	21.11.2017	27.11.2017	1400	6
31	Reena Devi	5.12.2017	6.12.2017	31.3.2018	1400	114
32	Neema Devi	13.12.2017	13.12.2017	27.1.2018	1400	44
33	Kusum	28.12.2017	29.12.2017	27.1.2018	1400	28
34	Pratima Devi	23.12.2017	24.12.2017	31.3.2018	1400	96
35	Ranju Devi	2.1.2018	3.1.2018	31.3.2018	1400	86
36	Sony Devi	12.2.2018	13.2.2018	27.3.2018	1400	41
37	Anita Devi	31.3.2018	31.3.2018	31.3.2018	1400	0
					53200	**11-218 days**
					-2800	
	Total :				**50400.00**	

संलग्नक–2

Year 2018-19

Sl. No.	Name of Beneficiary	Date of Delivery	Date of Discharge	Cheque Date	Amount	Delay
1	Meena Devi	11.4.2018	12.4.2018	7.7.2018	1400	86
2	Sushma Devi	5.5.2018	7.5.2018	7.7.2018	1400	62
3	Fatima Tasadiya	5.5.2018	5.5.2018	Nil	1400	0
4	Meena Devi	7.6.2018	7.7.2018	30.7.2018	1400	52
5	Rekha Devi	7.7.2018	8.7.2018	30.7.2018	1400	23
6	Anita Devi	11.7.2018	12.7.2018	30.7.2018	1400	19
7	Seema Devi	13.7.2018	14.7.2018	1.10.2018	1400	79
8	Devaswari Devi	23.7.2018	24.7.2018	1.10.2018	1400	69
9	Kiran Devi	26.7.2018	27.7.2018	30.7.2018	1400	5
10	Kailashi Devi	30.7.2018	30.7.2018	14.9.2018	1400	45
11	Kamla Devi	5.9.2018	6.9.2018	14.9.2018	1400	9
12	Geeta Devi	7.9.2018	9.9.2018	14.9.2018	1400	7
13	Archna Devi	17.9.2018	18.9.2018	1.10.2018	1400	13
14	Janki Devi	13.9.2018	14.9.2018	1.10.2018	1000	17
15	Reeta Rawat	14.9.2018	15.9.2018	26.10.2018	1000	41
16	Madhu Devi	18.9.2018	19.9.2018	26.10.2018	1000	37
17	Mamta Bhatt	22.9.2018	23.9.2018	26.10.2018	1000	33
18	Rameshwari Devi	25.9.2018	26.9.2018	26.10.2018	1000	30
19	Reena Devi	2.10.2018	4.10.2018	26.10.2018	1400	24
20	Arti Devi	14.10.2018	15.10.2018	26.10.2018	1400	12
21	Krishna Devi	25.10.2018	25.10.2018	26.10.2018	1400	1
22	Anita Devi	24.10.2018	25.10.2018	Nil	0	0
23	Sanjana Devi	4.10.2018	5.10.2018	5.2.2019	1000	123
24	Chandrama Devi	5.10.2018	5.10.2018	14.11.2018	1400	39
25	Pooja Negi	6.10.2018	7.10.2018	14.11.2018	1000	38
26	Anita Devi	8.10.2018	9.10.2018	28.12.2018	1000	80
27	Deepa Devi	23.10.2018	24.10.2018	5.2.2019	1000	104
28	Jamuna Devi	11.11.2018	12.11.2018	14.11.2018	1400	3
29	Anita Devi	1.11.2018	2.11.2018	19.11.2018	1400	18
30	Guddi Devi	19.11.2018	21.11.2018	19.11.2018	1400	0
31	Meena Devi	27.11.2018	28.11.2018	14.12.2018	1400	33
32	Lata Devi	15.11.2018	16.11.2018	14.12.2018	1400	28
33	Mamta Devi	21.11.2018	22.11.2018	14.12.2018	1400	22
34	Reeta Devi	22.11.2018	22.11.2018	14.12.2018	1400	21
35	Rasmi Devi	27.11.2018	28.11.2018	14.12.2018	1400	16
36	Laxmi Devi	27.11.2018	28.11.2018	14.12.2018	1400	16
37	Shanti Devi	13.12.2018	14.12.2018	14.12.2018	1400	1
38	Sunita Devi	14.12.2018	15.12.2018	14.12.2018	1400	0
39	Kiran	15.12.2018	15.12.2018	17.12.2018	1400	2
40	Pinki Devi	6.11.2018	8.11.2018	28.12.2018	1000	51
41	Rekha Devi	5.12.2018	6.12.2018	28.12.2018	1400	23
42	Sarswati Devi	14.12.2018	15.11.2018	28.12.2018	1400	14
43	Reena Devi	4.9.2018	5.9.2018	1.1.2019	1400	118
44	Manisha Devi	23.11.2018	24.11.2018	1.1.2019	1400	38

45	Kusum Devi	3.12.2018	4.12.2018	1.1.2019	1400	28
46	Pushpa Devi	2.1.2019	4.1.2019	9.1.2019	1400	7
47	Hemlata Negi	6.1.2019	7.1.2019	9.1.2019	1400	3
48	Mamta Devi	27.1.2019	29.1.2019	31.1.2019	1400	4
49	Kaushlya Devi	27.1.2019	28.1.2019	31.1.2019	1400	4
50	Kaushla Devi	28.1.2019	29.1.2019	31.1.2019	1400	3
51	Preeti Devi	15.11.2018	16.11.2018	5.2.2019	1000	81
52	Anita Devi	3.12.2018	4.12.2018	5.2.2019	1000	63
53	Shiwani Devi	20.12.2018	21.12.2018	5.2.2019	1000	46
54	Savitri Devi	5.1.2019	6.1.2019	5.2.2019	1000	30
55	Arti Devi	8.1.2019	9.1.2019	5.2.2019	1000	27
56	Geeta Rai	11.1.2019	12.1.2019	5.2.2019	1000	24
57	Pramila Devi	13.1.2019	14.1.2019	5.2.2019	1000	22
58	Sangeeta Devi	14.1.2019	15.1.2019	5.2.2019	1000	21
59	Babita Devi	19.1.2019	20.1.2019	5.2.2019	1400	16
60	Rekha Devi	22.1.2019	23.1.2019	5.2.2019	1400	13
61	Sonali	25.1.2019	25.1.2019	5.2.2019	1400	10
	Total :				**76800**	**9-123 days**

28 x 1400 = 39200

18 x 1000 = 18000

Total : 57200

STAN

प्रस्तर–1 ब्याज की धनराशि रु0 1.54 लाख को राजकोष में जमा न किया जाना।

शासनादेश संख्या 99/xxvii (14)/2009 दिनॉक 03 सितम्बर 2009 के अनुसार समेकित निधि से आहरित धनराशि पर अर्जित ब्याज की राशि को राजकोष में लेखाशीर्ष 0049 ब्याज प्राप्तियों के अन्तर्गत जमा किया जाना चाहिए।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फकोट, टिहरी गढवाल के लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि एन0एच0एम0 के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 से 2018–19 (जनवरी 2019) तक रु0 154348.00 की धनराशि बैंक में ब्याज के रुप में पडी हुई है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत् है:–

वर्ष	राशि
2016–17	73911.00
2017–18	51222.00
2018–19	29215.00
योग:–	**154348.00**

इस प्रकार, कार्यालय द्वारा विगत तीन वर्षों में प्राप्त बैंक ब्याज की धनराशि रु0 1.54 लाख को राजकोष में जमा नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि उच्चाधिकारियों से कोई स्पष्ट निर्देश न होने के कारण राजकोष में जमा नहीं किया गया। निर्देश प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासनादेश के अनुसार ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा की जानी चाहिए थी।

अतः ब्याज की धनराशि रु0 1.54 लाख को राजकोष में जमा न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
प्रथम लेखापरीक्षा		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
प्रथम लेखापरीक्षा				

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

–– शून्य ––

भाग–V

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फकोट (टिहरी गढवाल) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) } चयनित माह के व्यय वाउचर रु0 194.98 लाख
   (ii) }

2. सतत् अनियमितताऐंः

   (i) } –– शून्य ––
   (ii) }

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा0 अशोक कुमार	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	23.06.2008 से 21.10.2017
2.	डा0 दीपा रुवाली	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	21.10.2017 से 19.06.2018
3.	डा0 जगदीश जोशी	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	19.06.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फकोट (टिहरी गढवाल) को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ रोड, निकट आई0एच0एम0, देहरादून को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र